P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-6* February- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आरक्षण की वास्तविकता : एक चिकित्सकीय अध्ययन
The Reality of Reservation: An Analytical Study

सारांश (Abstract)

भारत की सामाजिक व्यवस्था जाति के आधार पर चली आयी है। प्राचीन भारत में सामाजिक पदसोपान का स्तर जाति का आधार मानते हुए उच्च–नीच, वरिष्ठ – कनिष्ठ सदियों से चलता आ रहा है। उच्च जाति के लोगों का सामाजिक स्तर ऊँचा है। उच्च जाति के लोगों को मान–सम्मान, प्रतिष्ठा अन्य जातियों से अधिक प्राप्त होता था। जन्म के आधार पर उच्च वर्णीय लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक ऐसे विभिन्न क्षेत्रों मे समाज के उच्च वर्णीय लोगों का पूर्ण रूप से हक बनता था।

India's social system has come on the basis of caste. In ancient India, the level of social hierarchy has been going on for centuries as the basis of caste. The social status of the upper caste people is high. The upper caste people received respect and respect more than other castes. On the basis of birth, the upper caste people used to get special rights. In different areas of social, economic, political, cultural and educational, the upper caste people of the society were fully entitled.

आर. जी.बाम्बोडे
सहयोगी प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
भारतीय महाविद्यालय,
मोर्शी, अमरावती,
महाराष्ट्र, भारत

मुख्य शब्द : सामाजिक व्यवस्था, भारतीय समाज।
Keywords : Social System, Indian Society.

प्रस्तावना

सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज अधिकाधिक वर्ग इन मनुष्य जीवन के विकास के अंगो से कोसो दूर रहा है। हजारो सालो से हमारे भारतीय समाज में ऐसा समुह का वर्ग है कि, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से वंचित, शोषित, पीड़ित तथा पिछडा रहा है। समाज के ऐसे कुचले, दबे हुए वंचित वर्गो का यानि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का विकास तथा प्रगति लाने के लिए उन्हे आवश्यक सन्धि देने का एक अवसर प्राप्त करने का है। यदि ऐसी सन्धि प्राप्त न होने के कारण वंचित, शोषित पीडित वर्ग के लोगों के मन में द्वेष, तिरस्कार, गुस्सा उच्च वर्गीय लोगों के विरोध में पैदा ना हो इसलिए उस वर्ग का यानि अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रगति करने के सन्धि प्राप्त हो सके। आरक्षण देने का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यह उच्च वर्णीय लोगों के बराबर तथा शामिल होकर अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक इन विभिन्न क्षेत्रो मे विकास करके समाज मे अपना स्तर बढाकर मान–सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करके विश्व कल्याण की जब बात की जाती है उस समय अपने समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का हमारे समाज का नैतिक कर्तव्य था ऐसा मेरा मानना है क्योंकि सदियों से जुल्मो में रखकर उनकी प्रगति होने का कोई संभव नहीं था। भारतीय राजनीति में आरक्षण यह सकंल्पना सीमित अर्थो से से नही मानी जाती तो आरक्षण यह सकंल्पना आज भारत मे नीति की मानी जाती है। आरक्षण यानि कुछ विशिष्ट तथा निश्चित स्वरूपों की उद्देश्य साध्य यानि प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रूपरेखा लायी जाती है उसे 'आरक्षण' कहा जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन क्षेत्रो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के लोगों को अधिक सन्धि देकर उनकी प्रगति तथा विकास का अध्ययन करने का उद्देश्य है।

विषय की समस्या

भारतीय समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गो के लोगों का आरक्षण से प्रगति तथा उन्नति हो गयी ऐसा समाज में मानने वाला वर्ग है कि, जो आज यहॉ तक है, कि इन वर्गो को आरक्षण की किसी प्रकार आवश्यता नही है। आरक्षण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का कुछ हद तक विकास हो चुका है यह भी संभव है, लेकिन आरक्षण अभी नही देना चाहिए क्योंकि बाकी वर्गो के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार हो रहा है, ऐसी एक समाज के एक वर्ग की मान्यता है। कम या अधिक रूप से आरक्षण के वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग को उन्नति तथा प्रगति होना यह आरक्षण के वजह से हुई है लेकिन समाज के विभिन्न क्षेत्रो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग के लोगों को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक इन क्षेत्रो मे वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व यानि विकास करने की पूर्ण रूप से सन्धि मिली यही नही यह सबसे बडी समस्या बन चुकी है। आज वर्तमान स्थिती मे किसी प्रकार की ससंद में चर्चा न होते हुए भी आर्थिक के आधार पर देश प्रधानमन्त्री मा. नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक दृष्टया दुर्बल वर्गो के लोगों को 10% प्रतिशत आरक्षण देने का अंमल भी कर दिया है। इसके वजह से आरक्षण का विषय भारतीय समाज में समस्या बन चुकी है । इसका अध्ययन करना मेरा मकसद है।

परिकल्पना (Hypothesis) :

1. भारतीय समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के लोगों का सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक इन विभिन्न क्षेत्रों मे प्रगति तथा उन्नति हुयी है।
2. आरक्षण के वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे वर्ग के लोगों का पूर्ण रूप से प्रगति तथा उन्नति हुई नहीं है।

जाति व्यवस्था नामक सामाजिक वर्गीकरण के एक रूप में सदियों से चले आ रहे अभ्यास के परिणाम स्वरूप भारत अनेक विवादी समूहो या जातियों और उपजातियों में विभाजित है। आरक्षण नीति के समर्थकों का कहना है कि, परंपरागत रूप से चली आ रही जाति व्यवस्था मे निचली जातियों के लिए घोर उत्पीड़न और अलगाव है और शिक्षा समेत उनकी विभिन्न तरह की आजादी सीमित है। 'मनुस्मृति' जैसे प्राचीन ग्रंथो के अनुसार जाति के एक 'वर्णाश्रम धर्म' है जिसका अर्थ वर्ग या उपजीविका के अनुसार पदों का दिया जाना यानि ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे वर्णाश्रम निर्माण की गयी ।

भारत मे जातिप्रथा तथा वर्णाश्रम नियमों पालन किया गया और उसके वजह से सदियों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गो के लोगों को विकास के पथ से कोसों दूर रखा गया। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए भारत में सबसे पहले आज के महाराष्ट्र राज्य के महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सुधारक ने 1882 साल मे हंटर आयोग के सामने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों मे सभी के आनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 1891 साल मे त्रावणकोर के सामंती रियासत मे सार्वजनिक सेवा मे योग्य वंचित, शोषित पीड़ित लोगों को अनदेखी करके विदेशियों के भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों मे आरक्षण की मांग की थी। 1902 मे महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में राजर्षी शाहू महाराज जैसे राजाओं द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की नींव रखी। यानि भारत मे आरक्षण की शुरूवात हो चुकी थी। 1908, 1909, 1919 के सालों में आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। 1921 मे मद्रास रेजीडेन्सी ने गुजारने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक इस प्रकार के अधिकार तथा हक दिये जाए, जिसके लिए भारत के संविधान में आरक्षण के सदंर्भ मे प्रावधान तथा व्यवस्था की गई।

देश की आजादी के सात दशक गुजर चुके है, विश्व मे सबसे बडा और लिखित रूप का संविधान भारत का है। संविधान में लोगों कुछ स्वतंत्रता दी गई, तो कुछ उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। भारत देश का संविधान 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकृत किया गया और उसका अमल 26 जनवरी, 1950 से हुआ। देश को अच्छे रूप से चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी कि इस समय देश को व्यापक और विभिन्न समस्याओ को सामने रखते हुए शोषित, पीड़ित, वंचित वर्गो के लोगों को न्याय मिल सके और समाज मे अपनी दिनचर्या राजस्थान राज्य मे 68% प्रतिशत आरक्षण और जिसमें अग्रड़ी जातियों के लिए 14% प्रतिशत आरक्षण को प्रस्ताव शामिल किया गया है।

भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने पहले के वंचित, शोषित, पीडित याने अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इस रूप मे आरक्षण सूचीबद्ध किया। संविधान निर्माताओ का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से सदियों से वंचित, शोषित, पीडित रही है। इसका मतलब यह है कि भारत के सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उनको विकास तथा उन्नति करने की सन्धि नही दी गयी थी। उसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारतीय समाज के रीतिरिवाज, परंपराओ से मान–सम्मान, प्रतिष्ठा तथा समान अवसर नहीं दिया गया यह हमारे समाज की वास्तविकता है। इसलिए राष्ट्रनिर्माण के गतिविधियों में उनकी भागीदारी तथा हिस्सेदारी कम रही है। संविधान ने सरकारी सहायता प्राप्त सस्थाओ की रिक्त सीटों तथा सार्वजनिक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों मे अनुसूचित जाति 15% प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% प्रतिशत आरक्षण रखा गया था।

संविधान मे आरक्षण का प्रावधान

संविधान निर्माताओ ने सोच समझकर संविधान के मूल ढॉचाओ में समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए यह प्रावधान उनके सुविधा के लिए रखा गया क्योंकि भारत में आने वाले समय मे ऐसा हो सकता है कि, चौतरफा हमलों के बीच आरक्षण खत्म हो जाए या आरक्षण की सुविधा लोगों को न मिल जाए, ऐसे समय मे यह जानना आवश्यक जरूरी है कि, हमारा भारतीय संविधान आरक्षण संकल्पना के सदंर्भ मे क्या कहलाता है। इसलिए समाज के लोगों को तथा बुध्दिजीवी वर्ग, राजनीति के विद्वान, पंडितो ने संविधान के प्रावधान को समझ सके।

1. अनुच्छेद 15(4) इस अनुच्छेद (15) की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) कोई राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टी से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गो के यानि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए कोई विशेष उपलब्ध करने से नही रोका जाएगा।
2. अनुच्छेद 16(4) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछडे हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष मे, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य अधीन सेवाओं मे पर्याप्त नही है। नियुक्तियों या पदो के आरक्षण के लिए उपलब्ध करने से नही रोका जायेगा।
3. अनुच्छेद 46 : राज्य, जनता के वंचित, शोषित, पीडित, तथा दुर्बल वर्गो के लिए खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक सम्बन्धी हितो की विशेष सावधानी से आगे बढाएगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की रक्षा करेंगें।
4. अनुच्छेद 335 : सघ या भारत के किसी राज्य से कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की सगंति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

उपर्युक्त सविधान के प्रावधानों को समझने के बाद ऐसा दिखाई पडता है कि, समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गो के समुहो को समय–समय पर उनके प्रगति तथा उन्नति के लिए ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक इन क्षेंत्रो से उन वर्गो को दूर रखा गया। इसलिए संविधान के प्रावधान के अनुसार उनकी उन्नति तथा प्रगति होना आवश्यक है, ऐसा कहा जा सकता है। और उपर्युक्त प्रावधान के अनुच्छेद 15 और 16 को संविधान में संशोधित करके अब तक अनारक्षित रख गए। जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया और उस में पिछ़डा वर्गो के लिए 44% प्रतिशत तथा ब्राम्हणो के लिए 16% प्रतिशत, भारतीय एंग्लो तथा इसाईयों के लिए 16% प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 8% प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। 1932 मे भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस ने प्रस्ताव पास किया जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। डॉ. भीमराव अम्बडेकर और महात्मा गांधी इन दोनों विभूतियों के नाम से आज भी प्रचलित है। इस पूना समझौता की वजह से आज भी वर्तमान समय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गो, लोगो के लिए सरकारी सेवाओं में, सार्वजनिक क्षेत्रों में और संसद तथा राज्य के विधि मंडलो में आरक्षण दिया जाता है लेकिन आरक्षण होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गो के लोगों का जिनका विकास तथा उन्नति होनी चाहिए थी वैसी आज भी नहीं हुई है । भारतीय संविधान के अनच्छेद 340 के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लोगों की स्थिति देखकर उनकी उन्नति के लिए आयोग की नियुक्ति की जाए। जिनकी सामाजिक, और शैक्षणिक इन क्षेत्रों में उनकी भी भागीदारी बढे। इसलिए 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप मे पिछडे स्थिति का मूल्यांकन यानि आज के OBC वर्ग का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग निर्माण किया गया। मंडल आयोग के अनुसार अन्या पिछड़े वर्ग को OBC कहा जाता है। भारतीय समाज में OBC की अधिकतम जनसंख्या 52% प्रतिशत रहने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रो में उतने प्रतिशत आरक्षण देने के बजाय सिर्फ केंद्र सरकार के क्षेत्रों में 27% प्रतिशत और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 19% प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

डॉ. सुखदेव थोरात और पॉल अटवेल के अध्ययन के अनुसार कहा जाता है कि, ''भारत मे निजी क्षेत्र की नौकरियों में भेदभाव के चरित्र के समझने के लिए एक अध्ययन किया गया है। इसके तहत अखबारों में निजी कंपनियों के जो विज्ञापन आए थे, उनके जवाब मे एक ही जैसे बायोडाटा अलग–अलग जाति सूचक, धर्मसूचक के नाम के साथ कंपनियों को भेजे गये। लेकिन इस में यह पाया गया कि अगर आवेदक का नाम तथा सरनेम हिन्दू सवर्णोवाला है। तो उनको साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के अवसर ज्यादा है। एक जैसे बायोडाटा भेजने पर 100 सवर्ण हिन्दुओं के मुकाबले में सिर्फ 60 पिछड़े और मुसलमानों को ही साक्षात्कार (Interview) के लिए बुलाया गया। इससे यह पता चलता है कि, नौकरियां देने के मामले में सामाजिक तथा जाति की पृष्ठभूमि की भूमिका होती है। बेशक कॉरपोरेट सेक्टर में यानि निजी व्यवसायों क्षेत्रो में कहा जाता है की सिर्फ मेरिट यानि गुणवत्तो के आधार पर नौकरियां दी जाती है। लेकिन वास्तव मेरिट का नाम आगे करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्गो के आवेदकों का विचार नहीं किया जाता और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाने के बावजूद भी उनकी निजी क्षेत्रों में नियुक्तियाँ नहीं की जाती यह हमारे समाज की वास्तविकता है।

सामाजिक समूह के गरीबों यानि सवर्ण आर्थिक दुर्बल वर्गो के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए गरीबी की एक परिभाषा बनाई गई है। इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गई है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट मे अब तक प्रलम्बित है।

देश के सविंधान निर्माण के समय संविधान मे देश और समाज के प्रति समर्पण के लिए लोगों को जो उत्तरदायित्व दिए गये थे, उनका आज वास्तविक जीवन में आरक्षण का हनन होने के अलावा कुछ भी नहीं हो

सका है। समय और परिस्थिति में बदलाव के साथ मानव जीवन के व्यवहार में उसके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आज के वर्तमान समय में एक दायरे मे रहकर वर्तमान विकास की अंधी दौड में अपने हितों के पीछे समाज और राजनैतिक दलो को अपने हितों को साधने के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है।

1. आने वाली पीढी के लिए खतरे कि घंटी मानी जा सकती है।
2. देश की आबादी में लगभग 20 लाख रजिस्टर बेरोजगार है। लेकिन उनके हितों को लेकर राजनीति करता हुआ कोई भी अपने बयानों के इतर योजना नहीं दिखाई देती। जब देश की लगभग 20 करोड जनसंख्या भुखमरी और देश के लगभग सोलह फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार है। राजनीतिक दल अपने हितों को साधने के लिए करते रहेगें और देश के व्यापक हित में देश की राजनीति भटकती रहेगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था

भारत देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन्नति तथा प्रगति के लिए सीमित रूप से सरकारी सेवाओं में और सस्थानो मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछडे समुदायों तथा अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजातियों से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय कानून के जरिये इन वर्गो की प्रगति के लिए, सरकारी और समाज के सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयो और धार्मिक भाषाई अल्पसख्यक शैक्षणिक सस्थानों को छोडकर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों मे पदो तथा सीटो के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की गयी है।

भारत की संसद मे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है। भारत की केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 27% प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। और भारत के विभिन्न राज्य में आरक्षण के सदंर्भ मे कानून बना सकते है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50% प्रतिशत से अधिक आरक्षण नही दिया जा सकता। लेकिन, भारत के कही राज्यो में याने राजस्थान राज्य मे 68% प्रतिशत आरक्षण और जिसमें अगडी जातियों के लिए 14% प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सविंधान ने पहले के वंचित, शोषित, पीड़ित यानि अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इस रूप में आरक्षण सूचिबद्ध किया। सविंधान निर्माताओ का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से सदियों से वंचित, शोषित, पीड़ित रही है। इसका मतलब यह है कि भारत के सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उनको विकास तथा उन्नति करने की सन्धि नही दी गयी थी। उसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारतीय समाज के रीतिरिवाज, परंपराओ से मान–सम्मान, प्रतिष्ठा तथा समान अवसर नही दिया गया यह हमारे समाज की वास्तविकता है। इसलिए राष्ट्रनिर्माण के गतिविधिओ में उनकी भागीदारी तथा हिस्सेदारी कम रही है। संविधान ने सरकारी सहायता प्राप्त सस्थाओ की रिक्त सीटों तथा सार्वजनिक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों मे अनुसूचित जाति 15% प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% प्रतिशत आरक्षण रखा गया था।

तालिका नं. 1

केंद्रीय सेवाओ मे आरक्षण पदो के संदर्भ में वर्तमान स्थिती भारत सरकार की आरक्षण नीति

क. स.	सवर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाती (SC)	15%
2	अनुसूचित जनजाति (ST)	7.5%
3	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	27%
4	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटक	10%
	कुल आरक्षण	59.5%

उपर्युक्त तालिका में संदर्भ घटको के अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जाति को 15% प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 7.5% प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 27% प्रतिशत और आर्थिक दुर्बल घटक को 10% प्रतिशत आरक्षण दिया गया है केंद्र के सांसद में और भारत के विभिन्न घटक राज्यो में अन्य पिछडा वर्ग के लोगों के लिए राजनीति में आरक्षण नही दिया गया।

तालिका नं. 2

महाराष्ट्र राज्य मे संवर्ग निहाय आरक्षण का प्रतिशत :

क. सं.	संवर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	13%
2	अनुसूचित जनजाति	7%
3	विमुक्त जाती (अ)	3%
4	भटक्या जमाती (ब)	2.5%

5	भटक्या जमाती (क)	3.5%
6	भटक्या जमाती (ड)	2%
7	विशेष पिछडा वर्ग	2%
8	अन्य पिछडा वर्ग	19%
9	सामाजिक और शैक्षणिक पिछडा वर्ग	13%
10	आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक	10%
11	खुला प्रवर्ग	25%
	कुल आरक्षण	100%

उपर्युक्त तालिका के अनुसार महाराष्ट्र राज्य मे आरक्षण के सदंर्भ में 50% प्रतिशत से अधिक आरक्षण न देने का नियमों का पालन नही किया गया। अर्थो में आरक्षण के सदंर्भ मे महाराष्ट्र ही राज्य नही है, बल्कि तामिलनाडू राज्य मे 69% प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

अन्य पिछडे वर्गो को मिला हुआ आरक्षण सामाजिक आरक्षण माना जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में विशेष श्रेष्ठता प्राप्त एवं दुर्लक्षित घटकों के लिए समांतर आरक्षण (Parallel Reservation) के नाम से आरक्षण दिया जाता है। समांतर आरक्षण में खिलाडी, महिला, सेवानिवृत्त सैनिक, दिव्यांग, विधवा–परित्यक्ता महिलाओ कों शमिल किया गया है। इसका अर्थ ऐसा है कि, यह आरक्षण सामाजिक दृष्टि से दिये जाने कारण उसे 'समांतर आरक्षण' कहा जाता है।

भारत के वर्तमान स्थिती में वादो मे आरक्षण का समर्थन वास्तविक मे आरक्षण का विरोध भारतीय जनता दल एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघं की घोषित नीति आरक्षण को बनाए रखने की है। नरेंद्र मोदीजी कह चुके है कि, जब तक वह जिंदा है, तब तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के आरक्षण पर कोई ऑच नही आएगी जबकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघं के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि, सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए संविधान में प्रदत्त आरक्षण का पूरी तरह समर्थन करता है। आरक्षण कब तक दिया जाना चाहिए, यही निर्णय वही लोग करे, जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है तो वे इसका निर्णय ले।

करीब दो साल पहले राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में एक अखबार के कार्यक्रम में भारतीय जनता दल के सांसद सुब्रम्हणयम स्वामी ने कहा था कि ''हमारी सरकार आरक्षण को पूरी तरह खत्म नहीं करेगे ऐसा करना पागलपन होगा। लेकिन, हमारी सरकार आरक्षण को उस स्तर पर पहुचॉ देगी जहा उसका होना या नही होना बराबर होगा। इसका मतलब आरक्षण निरर्थक हो जायेगा''। आज आप चाहे तो सुब्रम्हणयम स्वामी को बधाई दे सकते है कि आनेवाले वक्त को उन्होने बिलकुल सही पढ लिया था और सही भविष्यवाणी की थी। इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार ने संविधान में 103 वी संशोधन 2019 में करके आर्थिक दुर्बल घटको को 10% प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बल्कि यह आरक्षण सर्वसाधारण सवंर्ग से अंमल, भी हो गया है।

वर्तमान स्थिति मे नौकरियो के लिए लागू हो गई लैटरल एंन्ट्री

2019 साल से केंद्र सरकार ने नौकरशाही में बाहर वाले क्षेत्रो से जानकारों को लाने की एक नई प्रणाली का अंमल करना शुरू किया है। लैटरल एंट्री के उम्मीदवारों से कोई परीक्षा नही ली जाएगी और उनकी नियुक्तियो मे कोई आरक्षण भी लागू नही होगा याने जिस तरह से केंद्र सरकार केंद्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत सिविल सर्विस परीक्षा मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के लोग आरक्षण से आते है, वैसा लैटरल एंट्री इन नियुक्तियों मे आरक्षण नही होगा। इसके तरीके से केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयो मे 09 सचिवों की नियुक्ति हो चुकी है। उन उम्मीदवारों के नाम अम्बर दुबे, राजीव सक्सनेा, सुजित कुमार बाजपेयी, सौरभ मिश्रा, दयानंद जगदले, काकोली घोष, भूषण कुमार, अरूण गोयल और सुमन प्रसाद सिंह ऐसे नौ उम्मीदवारों की नियुक्ती की गयी। श्यामलाल यादव को आरटीआई के जवाब मे बताया गया कि चूंकि इन उम्मीदवारों का चयन आरक्षण के आधार पर नही हुआ है। इसलिए इन उम्मीदवारों की कॅटेगरी नही बताई जा सकती। लेटरल एंट्री मे कोई भी उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग यानि ओबीसी का नही है। आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार इंडीयन एडमिनीस्ट्रेटिव सर्विस मे उनकी नियुक्ती नही होगी। ऐसा माना जा रहा है कि बगैर आरक्षण दिए जिस तरह से नौ नियुक्तियां होगी। नीति आयोग ने ऐसे 54 पदो की पहचान कर ली है, ऐसे उमेदवारों को लैटरल एंट्री से भरा जा सकता है। यदि इस पद्वति से उम्मीदवारों का चयन जारी रहा तो कहने को तो संविधान मे आरक्षण के प्रावधान बने रहेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से आरक्षण काफी हद तक खत्म हो जाएगा।

सरकारी नौकरियों मे कटौती

केंद्रीय लोकसेवा आयोग से केंद्रीय सिविल सर्विस के लिए की जा रही सेलेक्शन की उम्मीदवारों की संख्या लगातार कम होती जा रही है । दी प्रिन्ट को सान्या ढीगंरा ने यह खबर दी थी कि 2014 साल मे केंद्रीय लोकसेवा आयोग से होनेवाले केंद्रीय सिविल सर्विस मे उम्मीदवारों की नियुक्ति अफसरो के रूप मे 1236 अफसरो के नाम नियुक्तियों के सरकार के पास भेजे थे। लेकिन 2018 साल मे यह संख्या घटकर 759

हो गई है। इसका मतलब यह होता है कि आरक्षण से कम उम्मीदवारों की सेन्ट्रल सिविल सर्विस में नियुक्ति होना। चूंकि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों मे है। इसलिए सरकारी नाकरियों मे कटौती का मतलब आरक्षण का कमजोर होना भी है ऐसा मै मानता हूँ।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र निष्कर्षो से परिणाम निकलता है कि संविधानिक प्रावधान से आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ एक या दो पिढी को मिला है। शोषित, वंचित, पीडित वर्गो की आरक्षण से जितनी उन्नति तथा प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नही दिखाई पड़ती। केंद्र सरकार की सेवाओं मे आरक्षण जितना प्रतिशत जब से लागू हुआ तब से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ती सरकार के विभागों मे नही हुई है। सिर्फ आंकडो खेल संविधान मे रहा। बल्कि, उसका सही ढंग से अमल नही हुआ है। लैटरल एंट्री से उम्मीदवारों की सेंट्रल सिविल सर्विस मे हो रही है उनका लाभ सवर्णो वर्ग के उमेदवारो को होकर आरक्षण वाले वर्गो को नही मिल रहा है जबकी हजारो सालों से जो वर्ग सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन सभी क्षेत्रो से वंचित, शोषित, पीडित रहा है। महाराष्ट्र राज्य में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया है, लेकिन, वास्तव में सरकार के विभागो में उनके प्रतिशत के आधार पर नियुक्तियॉ नहीं हुई है। आज वर्तमान स्थिती मे आरक्षण नहीं रहने के बावजूद भी सवर्णो वर्ग को ही सरकार के अन्य विभागो मे उच्च स्तर पर यानि श्रेष्ठतम् पदो पर उनकी नियुक्तियॉ होती है। यह वर्तमान आरक्षण की स्थिति है ऐसा मेरा मानना है।

उपाय योजनाएं (सुझाव)

1. जबसे भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उनकी उन्नति तथा प्रगती कितने प्रतिशत हुई है उसके लिए केंद्र स्तर व राज्य स्तर पर समितीयॉ निर्माण करके सर्वेक्षण करना चाहिए।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती तथा पिछडा वर्ग के लोगों को वास्तविक रूप से आरक्षण देने का लाभ कितने परिवार को प्राप्त हुआ है यह देखना चाहिए। तथा सरकारी सेवाओं मे इन उम्मीदवारों की नियुक्तियॉ कौन–कौन से पदो पर की गयी है इसका भी विचार होना चाहिए।
3. आरक्षण देना यानि गरीबी हटाने का कार्यक्रम नही है बल्की हजारो सालो से कुचले, दबे हुए वर्गो से आने वाले लोगों का सरकार के विभिन्न विभागों मे प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। उसके लिए आरक्षण देना जरूरी है ऐसा सरकार की ओर से घोषित होना चाहिए बल्कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति अन्य समूह की मानसिकता बदलने का काम करना चाहिए।
4. संविधान के अनुसार सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछडा वर्ग के लोग रहे है उन्हे ही आरक्षण देने का प्रावधान रहने के बावजुद भी वर्तमान स्थिती मे जो सवर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षण देना गलत है और लैटरल एंट्री के रूप में जो नौ उम्मीदवारों की नियुक्तियॉ सचिव पदो पर की गयी है। लटैरल एंट्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व और अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण देने की सुविधा बनानी चाहिए।
5. जब तक भारत देश मे सामाजिक व्यवस्था का आधार जाति माना जाता है तब तक आरक्षण देना आवश्यक है। उसके लिए जातियों निर्मुलन के लिए सरकार ने ठोस भूमिका निभानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

डॉ. डी. डी. बसु, ''इन्ट्रॉडक्शन टु दी कॉन्स्टिटयुशन ऑफ इडिया'', वाधवा प्रकाशन, आग्रा 2003
के. क. घई, ''इडियन गर्व्हन्मेन्ट ॲण्ड पोलिटिक्स'', कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना, राजस्थान 2008
श्रीराम पवार, 'दिक्षा' सकाल, सकाल न्युज पेपर्स प्रा. लिमिटेड, नागपुर

Website

www. reservation percentage as per Government of India
https;//www.google.com
https;//aajtak.indiatoday.in
https;//www.bbc.com
https;//hi.m.wikipedia.org
www. Dalitstudies.org.in
www.indiaseminar.com/2005/549/sukhdeo thorat
Reservation and Private Sector: Quest for Opportunity and Growth (edited) with Arama and Prashant Negi (2005) Rawat Publication
Urban Labour Market Discrimination; Sukhadeo Thorat, Paul Attewell